राजस्व लोक अरालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2017"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : वारसिंह, RAS.
पत्रावली संख्या : RCMS15/16 (विविध प्रा.पत्र)

1. श्री लखमीचन्द पिता उमेदा ब्राम्हण निवासी ब्राम्हणो की तलाई (बग्गड) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

...........प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

............विपक्षी

उपस्थित : 1–श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 18.05.17

1. पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2017" में कैम्प कोर्ट खेरोदा पर पेश हुई । प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि मौजा खुमाणपुरा, तलाई पटवार मण्डल बग्गड की आराजीयात परिशिष्ट 'क' के अनुसार मोजा खुमाणपुरा में स्थित आराजी नम्बर 57/5, 60 किता 2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा स्थित होकर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई कजोडीमल, किशनलाल पिता उदेराम ब्रा. सा.देह के नाम पर अंकित है। परिशिष्ट "ख" के अनुसार मोजा तलाई के आराजी नम्बर 99, 143, 145, 147, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 164 किता 11 रकबा 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि उदेलाल पिता लाला के नाम 1/4 एंव शेष हिस्सा अन्य खातेदारो के नाम पर अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ट "ग" में मोज तलाई की आराजी नम्बर 98, 117 किता 2 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि उदेराम पिता लाला के नाम पर 1/12 हिस्से से एवं अन्य खातेदारो के नाम पर अंकित है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रार्थी

पटवारी हल्का ने विरासत का नामान्तकरण खोला तब उमेदा पिता लाला के बजाय कजोड, किसन, लखमीचन्द, कंकु, दोली, कंचन पिता उमेदा के नाम मोजा खुमाणपुरा की आराजी किता 4 रकबा 4 बीघा अंकित कर दी एंव मोजा तलाई के आराजी नम्बर 25/6 रकबा 2 बीघा भूमि भी उमेदा पिता लाला के बजाय उसके वारिसान के नाम अंकित कर दी। प्रार्थी द्वारा कहा कि उक्त परिशिष्ट क, ख, ग में वर्णित भूमि में उमेदा का नाम उदेलाल, उदेराम अंकित कर दिया जाने से यह भूमि विरासत से प्रार्थी व उसके भाईयो के नाम अंकित नही हो सकी। निवेदन किया कि उक्त भूमि में जहॉ–जहॉ भी उदेराम एंव उदेलाल अंकित है वहॉ–वहॉ प्रार्थी के पिता का नाम उमेदा अंकित करते हुए विरासत से उक्त भूमि प्रार्थी व उसके भाईयो के नाम अंकित कराना न्याय हित में आवश्यक है।

2. उक्त प्रकरण में विपक्षी तहसीलदार वल्लभनगर के द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम उमेदा किया जाना न्यायोचित है। हमनें प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया । दस्तावेजात नकल जमाबन्दी समवत 2070–73, 2050–53, 2069–72 तथा नामान्तकरण संख्या 116 का अवलोकन किया। दस्तावेजात् को देखने से जाहिर आया है कि प्रार्थी के पिता का नाम "उमेदा" सही प्रतीत होता है। इस तथ्य की ताईद ग्राम पंचायत बग्गड़ के प्रमाण पत्र से भी होती है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड मे जहॉ–जहॉ प्रार्थी के पिता का नाम उदेलाल, उदेराम अंकित है उस स्थान पर उमेदा प्रतिस्थापित किया जावें।

4. तहसीलदार वल्लभनगर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास क़ैम्प कोर्ट " खेरोदा " पर सुनाया गया ।

(वारसिंह) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर